FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

मनीराम बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :–वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आरटी एक्ट मु.नं. एवं सन 23/17 व 2017/00108

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
30.10.19	पत्रावली पेा हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी राजपैरोकार उपस्थित। वकील वादी ने मंजूर ाुदा कटान रास्ते को मौके पर बंद होने के कारण राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/वादी खातदेार के नाम दर्ज करने की प्रार्थना की। इसके जबाब में राजपैरोकार ने स्वीकृत ाुदा रास्ते को जो कि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, को 88 आरटी एक्ट के तहत घोश्णात्मक वाद एवं 136 एलआर एक्ट के तहत लिपिकिय त्रुटी की भ्राुद्वी के तहत खातेदार के नाम दर्ज करना विधिवत नही होने पर प्रस्तुत वाद ही गलत धाराओं में प्रस्तुत करने के कारण खारिज योग्य होना पाया जाता है।इसके जबाब में वकील वादी/प्रार्थी ने निवेदन किया कि हमारा इसी रास्ते को खारिज करने हेतु धारा 8(2) उपनिवे ान अधिनियम का इसी न्यायालय में प्रकरण लम्बित है। इस पर राजपैरोकार ने इस वाद का कोई औचित्य नहीं होने व पूर्व वाद का सिद्वान्त लागू होने की बात की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद सुसंगत धाराओं में पेा नहीं किया है तथा इसी अनुतोश के लिए एक वाद पूर्व में न्यायालय हाजा में लंबित है। अतः न्यायालय धारा 151 सीपीसी की अर्न्तनिहित भाक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रस्तुत वाद को सुंसंगत धाराओ में पेा नहीं करने व पूर्व वाद विचाराधीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज करने का आदेा दिया जाता है। पत्रावली फै ाल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	